# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 49 / 2021

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. मालाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी सऊओं की ढाणी, भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर | | 1 लक्ष्मणराम पुत्र टीकमाराम 2 देऊदेवी पत्नी टीकमाराम 3 लाभूराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी सऊओं की ढाणी, भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 4 शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास 5 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.**

उपस्थिति :–

1. श्री केसाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, वकील प्रतिवादी संख्या 04।

## निर्णय

दिनांक 22.12.23

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 49 / 2021 अनवान मालाराम वगैराह बनाम लक्ष्मणराम वगैराह में दिनांक 09.12.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक भू.अ. / 285 दिनांक 16.05.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। वकुलाय फरीकेन को तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुसार है। लिहाजा उपस्थित वकुलाय फरीकेन ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वकील वादी की सहमति के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य मौजा सऊओं की ढाणी पटवार हल्का भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 511 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 512 रकबा 39.17 बीघा, खसरा संख्या 563 रकबा 111.07 बीघा, खसरा संख्या 616 रकबा 25.06 बीघा कुल रकबा 176.15 बीघा भूमि मे विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है:–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | खसरा संख्या | रकबा (हैक्टेयर में) | किस्म | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मालाराम पुत्र पुराराम जाति जाट हिस्सा पूर्ण साकिन देह खातेदार रहन पूर्ण खाता एसबीआई शाखा कवास | 616<br>563 | 4.0954<br>5.4390 | बा.सो.<br>बा.सो. | हरा |
| | योग :– | 02 | 9.5344 | बा.सो. | |

सहायक कलक्टर
(SDO),बाड़मेर

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | देऊदेवी पत्नी टीकमाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/4 एसबाआई शाखा कवास लक्ष्मणराम पुत्र टीकमाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/4 एसबाआई शाखा कवास लाभूराम पुत्र पूराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 1/2 एसबाआई शाखा कवास | 511<br>512<br>563 | 0.0405<br>6.4507<br>12.5857 | गै.मु. ढाणी<br>बा.रो.<br>बा.रो. | लाल |
| | योग :- | 03 | 19.0769 | — | — |

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार लगान का निर्धारण कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। रहन की प्रविष्टी यथावत रहेगी। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(समंदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.12.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर